रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2001/ज्येष्ठ 1, 1923

No. 326] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2001/JYAISTHA 1, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2001

का.आ. 448(अ).—केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सरीन की अध्यक्षता में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण' का गठन इस बात का न्यायनिर्णयन करने के लिए करती है कि दीनदार अंजुमन को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं ।

[फा. सं. II-14017/2/2001-एन आई (डी-V)]

शारदा प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2001

S.O. 448(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal", for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Deendar Anjuman as Unlawful Association consisting of Mr. Justice Manmohan Sarin, Judge of the Delhi High Court.

[F. No. II-14017/2/2001-NI(DV)]

SHARDA PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.